समाहरणालय, सिमडेगा।

(भू–अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

या

उपायुक्त या समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रारूप

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1)के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम – सेवई , थाना न0 – 37 थाना – सिमडेगा, अंचल – सिमडेगा, जिला – सिमडेगा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना – सिमडेगा से सेवई – किनकेल – कुरडेग – कुटमाकच्छार – छतीसगढ़ सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु अपेक्षित है। इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार – संक्षेप यथा – निम्न हैः– उक्त परियोजना के उदेश्य एवं सार्वजनिक हित लाभ के लिये प्रभावित रैयतो की हितो की रक्षा मे शत् प्रतिशत मुआवजा भुगतान एवं जनसुनवाई के दौरान कुछ सार्वजानिक हितों के कार्यान्वयन हेतु अधियाची विभाग को विशेष प्रबंधन का सुझाव के साथ अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ समूह द्वारा SIA के अन्तिम प्रतिवेदन को समीक्षोपरान्त अनुमोदित की गई है। चूँकि यह परियोजना सिमडेगा से छत्तीसगढ़ तक जाने एवं तीन प्रखण्डो को जोड़नेवाली यह एक महत्वपूर्ण पथ है इस पथ के सुदृढ़ होने से सिमडेगा जिला के पश्चिमी हिस्से की एक बड़े आबादी इससे लाभान्वित हो रही है ,अपेक्षाकृत कम आबादी प्रभावित हो रही है। संबंधित क्षेत्र में सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रगति अवश्यम्भावी है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है । प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनवर्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (I)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है । अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम – सेवई , थाना न0 – 37 थाना – सिमडेगा, अंचल – सिमडेगा, जिला – सिमडेगा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.5676 एकड़ यानि 0.229 हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

0	खाता सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमा भूखण्ड संख्या				वृक्ष		संरचनाएँ	
							उ	द0	पु0	प0	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया sft
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	40	4406	रैयती	आवासीय	0.0576	रामरतन प्रसाद पिता स्व0 भगवान दास, ग्राम – सेवई।	अंश	सड़क	4404	4405	–	–	–	–

2	159	7477	गैरमजरूवा भूमि बंदोबस्ती	दोन	0.03	दिनेश लोहरा पिता जगन लोहरा ग्राम सेवई गोरयाबहार	सड़क	अंश	7489	7476	—	—	—	—
3	159	7586	गैरमजरूवा भूमि बंदोबस्ती	दोन	0.03	दिनेश लोहरा पिता जगन लोहरा ग्राम सेवई गोरयाबहार	सड़क	अंश	7587	7489	—	—	—	—
4	159	4405	गैरमजरूवा भूमि बंदोबस्ती	दोन	0.24	दिनेश लोहरा पिता जगन लोहरा ग्राम सेवई गोरयाबहार	अंश	सड़क	4404	मिलान शीट न0—3	—	—	—	—
5	193	7829	रैयती	दोन	0.12	अभरण बड़ाईक ग्राम सेवई दुन्दुकच्छार	अंश	सड़क	7827	7253	—	—	—	—
6	265	8251	गैरमजरूवा भूमि बंदोबस्ती	आवासीय	0.08	लक्षमण बड़ाईक ग्राम सेवई दुन्दुकच्छार	अंश	सड़क	8408	8249	—	—	पक्का मकान अंश खपड़ैल	611 **sft**
7	619	2723	गैरमजरूवा भूमि बंदोबस्ती	आवासीय	0.01	बिनोद बाड़ा ग्राम सेवई खुंटी टोली	2725	सड़क	सड़क	2721	—	—	कच्चा खपड़ैल मकान अंश	620 **sft**
कुल रकबा					**0.5676**									

कानूनगो भू—अर्जन
सिमडेगा

भू—अर्जन पदाधिकारी
सिमडेगा

अपर समाहर्त्ता
सिमडेगा

उपायुक्त
सिमडेगा।

समाहरणालय, सिमडेगा।

(भू–अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

या

उपायुक्त या समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1)के अधीन)

अधिसूचना संख्याः– .... दिनांकः–.........................

चूँकि झारखण्ड सरकार / उपायुक्त सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम – सेवई , थाना न0 – 37 थाना – सिमडेगा, अंचल – सिमडेगा, जिला – सिमडेगा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना – सिमडेगा से सेवई – किनकेल – कुरडेग – कुटमाकच्छार – छतीसगढ़ सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु अपेक्षित है। इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार – संक्षेप यथा – निम्न हैः– उक्त परियोजना के उदेश्य एवं सार्वजनिक हित लाभ के लिये प्रभावित रैयतो की हितो की रक्षा मे शत् प्रतिशत मुआवजा भुगतान एवं जनसुनवाई के दौरान कुछ सार्वजानिक हितों के कार्यान्वयन हेतु अधियाची विभाग को विशेष प्रबंधन का सुझाव के साथ अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ समूह द्वारा SIA के अन्तिम प्रतिवेदन को समीक्षोपरान्त अनुमोदित की गई है। चूँकि यह परियोजना सिमडेगा से छत्तीसगढ़ तक जाने एवं तीन प्रखण्डो को जोड़नेवाली यह एक महत्वपूर्ण पथ है इस पथ के सुदृढ़ होने से सिमडेगा जिला के पश्चिमी हिस्से की एक बड़े आबादी इससे लाभान्वित हो रही है ,अपेक्षाकृत कम आबादी प्रभावित हो रही है। संबंधित क्षेत्र में सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रगति अवश्यम्भावी है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है । प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनवर्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (I)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है । अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम – सेवई , थाना न0 – 37 थाना – सिमडेगा, अंचल – सिमडेगा, जिला – सिमडेगा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.5676 एकड़ यानि 0.229 हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क्र0	खाता सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमा भूखण्ड संख्या				वृक्ष		संरचनाएँ	
							उ	द0	पु0	प0	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया sft
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	40	4406	रैयती	आवासीय	0.0576	रामरतन प्रसाद पिता स्व0 भगवान दास, ग्राम – सेवई।	अंश	सड़क	4404	4405	–	–	–	–

2	159	7477	गैरमजरूवा भूमि बंदोबस्ती	दोन	0.03	दिनेश लोहरा पिता जगन लोहरा ग्राम सेवई गोरयाबहार	सड़क	अंश	7489	7476	—	—	—	—
3	159	7586	गैरमजरूवा भूमि बंदोबस्ती	दोन	0.03	दिनेश लोहरा पिता जगन लोहरा ग्राम सेवई गोरयाबहार	सड़क	अंश	7587	7489	—	—	—	—
4	159	4405	गैरमजरूवा भूमि बंदोबस्ती	दोन	0.24	दिनेश लोहरा पिता जगन लोहरा ग्राम सेवई गोरयाबहार	अंश	सड़क	4404	मिलान शीट न0—3	—	—	—	—
5	193	7829	रैयती	दोन	0.12	अभरण बड़ाईक ग्राम सेवई दुन्दुकच्छार	अंश	सड़क	7827	7253	—	—	—	—
6	265	8251	गैरमजरूवा भूमि बंदोबस्ती	आवासीय	0.08	लक्षमण बड़ाईक ग्राम सेवई दुन्दुकच्छार	अंश	सड़क	8408	8249	—	—	पक्का मकान अंश खपड़ैल	611 **sft**
7	619	2723	गैरमजरूवा भूमि बंदोबस्ती	आवासीय	0.01	बिनोद बाड़ा ग्राम सेवई खुंटी टोली	2725	सड़क	सड़क	2721	—	—	कच्चा खपड़ैल मकान अंश	620 **sft**
कुल रकबा					**0.5676**									

यह अधिसूचना भू—अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या—30/2013 की धारा —11 (1) के उपबधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू—अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा —सह— समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समूचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का

सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टी करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति उपायुक्त सिमडेगा के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त
सिमडेगा।

ज्ञापांकः–....................../भू0अ0, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पंचायत सचिव/मुखिया ग्राम पंचायत – सेवई ,प्रखण्ड – सिमडेगा को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेश है कि पंचायत में अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिले के वेबसाईट पर उक्त अधिसूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला नजारत उप समाहर्त्ता सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला गजट में अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त
सिमडेगा।

ज्ञापांकः–....................../भू0अ0, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि प्रचलित दो स्थानीय दैनिक सामाचार पत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में यथाशीघ्र प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त
समडेगा।